लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा के माह 08/2013 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री एस.एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24/08/2016 से 01/09/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री ए॰के॰ जैन राघवेंद्र सिंह एवं एस॰एस॰दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31/08/2013 से 05/09/2013 तक श्री दिनेश रमोला, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 31/08/2013 से 05/09/2013 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 03/2012 से 07/2013 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 07/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

1- डा.अभय सक्सेना 23/08/2010 से 21/08/2015 तक

2- सुश्री प्रियंका सिंह 22/08/2015 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	**अनिस्तारित प्रस्तर**	
	भाग-दो 'अ'	**भाग-दो 'ब'**
06/2001-02	01	02
09/2005-06	-	01
74/2011-12	01	01,02,03**(क) एवं (ख)**
26/2013-14	-	01

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

10. सतत अनियमिततायँ:- शून्य

11. गत पांच वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

क्रम संख्या	**वर्ष**	**मुख्य लेखाशीर्ष**	**कुल आवंटन (` लाख में)**	**कुल व्यय (` लाख में)**
1.	2012-13		145.95504	145.95504
2.	2013-14		601.99	591.47132

3.	2014-15		453.36	411.73822
4.	2015-16		832.43499	759.38174
5.	2016-17		65.2348	18.09186

भाग दा "ब"

प्रस्तर 1- कार्य योजनानुसार लक्ष्य प्राप्त न किया जाना एंव आवंटित धनराशि में से रू0 15.80 लाख समर्पित किया जाना

मुख्य कृषि अधिकारी , अल्मोड़ा की लेखा परीक्षा के दौरान Sub – Mission Agriculture Extension (SMAE) Under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) Schemes से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि , इस योजना के अन्र्तगत संचालित उपयोजनाओं हेतु वर्ष 2015-16 हेतु कुल 1369 भौतिक लक्ष्य निश्चित किया गया था , जिसमें से मात्र 678 ही भौतिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सका । इन उपयोजनाओं हेतु कुल रू0 39.21 लाख का प्रावधान किया गया था, प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 33.54 लाख आवंटित किया गया था, के सापेक्ष रू0 17.73808 लाख ही व्यय किया गया था। अवशेष धनराशि (रू0 33.54 - 17.74) रू0 15.80 लाख व्यय नही किया जा सका अर्थात अवशेष है(विवरण पत्र सलग्न) । इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि "भविष्य में धनराशि अवशेष न बचे अत: योजना का संचालन शीघ्र - अतिशीघ्र किया जायेगा ।" विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि, स्वीकृत योजनानुसार लक्ष्य के सापेक्ष कार्य नहीं करवाया जा सका , निश्चित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 53 प्रतिशत लक्ष्य ही वर्ष 2015-16 में प्राप्त किया जा सका , अतः किसानों के आवश्यकतानुसार योजना न, होने के कारण योजना सफल नहीं हो सकी, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तर</u> 2- ` 2741120.00 का अनियमित भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार ` 1 लाख से अधिक की खरीद करने पर नियमानुसार निविदा आमंत्रित करके ही सामग्री का क्रय अनुमोदित फर्म से ही किया जा सकता है।

कृषि विभाग द्वारा संचालित जिला एवं राज्य योजना की भौतिक-वित्तीय प्रगति मार्च 2015 में कृषि यंत्र वितरण हेतु कुल आवंटन रू0 39.485 के सापेक्ष रू0 39.485 लाख था। जिसमें कुल कृषक लाभार्थी संख्या 82 में से 17 अनुसूचित जाति के लाभार्थी तथा अवशेष सामान्य के थें। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में कुल आवंटन रू0 57.00 लाख के सापेक्ष रू0 57.00 लाख व्यय था। जिसमे चयनित लाभार्थी कृषक कुल संख्या 132 में से 34 एस0सी0 के अवशेष सामान्य के थे। उपरोक्त चयनित लाभार्थी को पावर वीडर/ ट्रैक्टर क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया गया है इस सम्बन्ध में क्रय किये गये संयत्र के बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि किसानों द्वारा उस विनिर्माता फर्म के संयत्र क्रय करने चाहिऐ थें जिस पर भारत सरकार द्वारा अनुदान देना स्वीकृत किया गया था। कृषकों द्वारा, भारत सरकार द्वारा जिस फर्म का चयन कर के दिया गया था उस फर्म से कृषि यंत्र का क्रय किया ही नहीं गया था। बल्कि न्यू कामपीटेन्ट ट्रैक्टर काशीपुर से किया गया है। मैसर्स न्यू कॉमपीटेन्ट ट्रैक्टर काशीपुर किस ख्याति प्राप्त विनिर्माता फर्म का अधिकृत विक्रेता है तथा उसकी सामग्री गुणवत्ता जाँच निदेशालय/मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा करायी गयी है, यह भी स्पष्ट नहीं हैं । किसानों द्वारा जिस पावर वीडर का क्रय किया गया है उसकी गुणवत्ता का सत्यापन किन किन उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया था, स्पष्ट नहीं था साथ ही साथ जिस विक्रेता को पावर वीडर पर कृषक अंश के अलावा अनुदान का भुगतान किया गया है उसकी दरों को निदेशालय/मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा द्वारा अनुमोदित ही नहीं किया गया था। बिना सामग्री गुणवत्ता जाँच तथा क्रय सामग्री की दरों को अनुमोदित किये बिना तथा जमानत धनराशि जमा कराये बिना ही निरन्तर बिचौलिया विक्रेता फर्म को रू0 2741120.00 भुगतान किया जाता रहा जोकि वित्तीय नियमों के विपरीत था ।

उक्त के परिप्रेक्ष में पूछने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कृषकों द्वारा स्वंय अपने स्तर से निर्धारित मांडल के यंत्रो का क्रय किया गया है तत्पश्चात अनुदान के लिए बिलों को कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। क्रय की गयी सामग्री एवं उसके बिलों का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के न्याय पंचायत प्रभारी, विकास खण्ड प्रभारी एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के उपरान्त ही सम्बन्धित फर्म को अनुदान की निर्धारित धनराशि बैंक ड्राफ्ट चैक ई-पेमेंन्ट द्वारा सीधे खाते में की जाती है भविष्य में भारत सरकार की अनुमोदित फर्मों के अधिकृत विक्रेताओं की सूची भी प्राप्त करने हेतु निदेशालय से पत्राचार किया जायेगा तथा क्रय सामग्री गुणवत्ता की जाँच कराने हेतु निदेशालय से अनुमति प्राप्त करके ख्याति प्राप्त फर्मों की प्रयोगशाला से करा लिया जायेगा।

विभागीय उत्तर तत्थ्यात्मक नही था। क्योकि जिस मांडल की सामग्री क्रय करने पर अनुदान की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी वह विनिर्माता फर्म से क्रय करने पर थी जिसकी दरें एवं गुणवत्ता भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करी गयी थी तभी तो विनिर्माता फर्म के नाम व पता उपलब्ध कराये गये और यदि कोई भ्रान्ति थी तो उच्चाधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से

स्पष्ट करने पर ही अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जबकि ऐसा नहीं किया गया बल्कि अनुदान की धनराशि स्वीकृत करके वितरक विचौलिया फर्म को रू0 2741120.00 भुगतान कर दिया गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर – 01 अनावश्यक रूप से एक ही प्रकार की दो योजनाये संचालित किये जाने के कारण रू 17.13 लाख समर्पित किया जाना

कृषि विभाग में संचालित बीज ग्राम योजना के अन्र्तगत बीजो की मूल्य पर 50 प्रतिशत छूट (Subsidy) देय थी तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत रू 1000.00 या 50 प्रतिशत छूट (Subsidy) जो भी कम हो, देय थी।

मुख्य कृषि विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि किसानों ने बीज ग्राम योजना के अर्न्तगत मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट (Subsidy) वाली योजना से ही लाभ लिया, क्योंकि किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के सापेक्ष बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत सब्सिड़ी लेना अधिक लाभप्रद था। समान बीजो के लिए अधिक एंव कम छूट (Subsidy) वाली दो याजनाओ का एक ही वित्तीय वर्ष हेतु संचालित किए जाने का कोई औचित्य नही था, जबकि अधिक छूट (Subsidy) वाली योजना में प्राप्त धनराशि रू0 27.34 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 16.98439 लाख ही व्यय कर शेष धनराशि (27.34–16.98439) रू0 10.35561 समर्पित करनी पडी थी , तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत समान बीजों की कम छूट (Subsidy) वाली योजना संचालित किये जाने के कारण इस योजनान्र्तगत प्राप्त धनराशि रू0 7.00 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 23000.00 ही व्यय कर रू0 6.77 लाख (97 प्रतिशत धनराशि) समर्पित की गयी थी, इस प्रकार दो एक समान योजना संचालित करने के कारण कुल आवंटित रू0 (27.34+7.00) रू0 34.34 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 17.21 लाख ही व्यय कर रू0 17.13 लाख जो कि आवंटित धनराशि का लगभग 50 प्रतिशत है, समर्पित करना पड़ा।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि “भविष्य में एक ही योजना संचालित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।”विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि योजनाओं को तैयार करते समय योजनाओं की ठीक से तुलनात्मक समीक्षा न करने के कारण एक ही तरह की दो योजनाये संचालित की गई जबकि अधिक छूट वाली योजना हेतु आवंटित धनराशि मे से 38 प्रतिशत धनराशि समर्पित की गई थी तथा समानान्तर चलाई गई दूसरी योजना में आवंटित धनराशि में से 97 प्रतिशत धनराशि समर्पित की गयी थी। अतः एक ही प्रकार की दो योजनाये संचालित किये जाने के कारण रू0 17.13 लाख समर्पित किया गया प्रकरण उच्चाधिकारियां के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II